यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) प्रथम, राज्य कर, कोट्द्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) प्रथम, राज्य कर, कोट्द्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.03.2019 से 15.03.2019 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2018 से 27.03.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखो का निरीक्षण किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** काशीपुर, नैनीताल, रामनगर, अल्मोडा, बागेश्वर
2. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (वा0कर,) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे)**
2015-16	789.00
2016-17	827.00
2017-18	502.00

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना		गैर स्थापना	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		आवंटन	व्यय			
	शून्य					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) प्रथम, राज्य कर, कोट्द्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ....-....... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ....-...... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 01:– देयकर की कम अदायगी ₹ 22.53 लाख

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0).प्रथम,राज्यकर कोटद्वार की माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलखों की जॉच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित व्यौहारियों के कर निर्धारण वादों को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25(क) के अन्तर्गत स्वतःकर निर्धारण की अनुमति प्रदान की गयी थी। इन व्यौहारियों की कर निर्धारण पत्रावली की जॉच में पाया गया कि व्यौहारियों द्वारा निम्नानुसार कम कर जमा किया गयाः–

क्रम सं0	व्यौहारी का नाम पता तथा कर निर्धारण वर्ष	निर्धारित कर जो देय था रुपये में	जमा किया गया कर रुपये में	**संगत वर्ष प्राप्त आईटीसी रुपये में**	कम दिया गया कर रुपये में
1.	सर्वश्री चेतानी आटोमोबाइल्स कोटद्वारा 2015–15	10,53,484	शून्य	10,27,239	26,245
2.	सर्वश्री जैनको सेनेट्री स्टोर कोटद्वार 2015–16	3,89,474	60,200	3,09,601	19,673
3.	सर्वश्री नन्दजी मुनि की रेती कोटद्वार 2015–16	3,60,723	51,490	2,30,580	78,683
4.	सर्वश्री दुर्गाप्रसाद भारत भूषण कोटद्वार 2015–16	1,61,618	4,010	1,50,260	7,348
5.	सर्वश्री सिंघानिया पेन्टस हाउस कोटद्वार 2014–15	6,26,677	66,276	शून्य	56,0401
6.	सर्वश्री हरीराम एण्ड कं0 कोटद्वार 2014–15	11,31,408	19,793	शून्य	11,11,615
7.	सर्वश्री शादीलाल ओमप्रकाश कोटद्वार 2014–15	19,607	1,687	शून्य	17,920
8.	सर्वश्री महेन्द्र प्रसाद चेतानी एण्ड सन्स कोटद्वार 2014–15	5,47,143	31,613	4,88,158	27,372

9.	सर्वश्री सिद्धबली आफसेट कोटद्वार	1,52,656	74,199	शून्य	78,457
10	सर्वश्री सिघानियॉ पेन्टस कोटद्वार 2015–16	8,96,061	38,300	8,39,562	18,199
11.	सर्वश्री श्रीजी आटोमोबाइल्स कोटद्वार 2015–16	10,10,161	शून्य	9,84,986	25,175
12	सर्वश्री हरियाणा आटो ट्रेडर्स कोटद्वार 2015–16	2,40,474	शून्य	2,24,878	15,592
13	**शशी पैकिंग प्रोडक्टस** 2014-15	2,66,208	**शून्य**	**शून्य**	2,66,208
				योग	22,52,888

उपरोक्त कम जमा किये गये कर ₹ 22,52,888 के संबन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा **जाँ**चोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अतः प्रकरण उचाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग. दो "ब "

प्रस्तर 02 :–समाधान राशि के कम दर से निर्धारण एवं अधिक रिफण्ड के कारण राजस्व क्षति ₹1.18 लाख।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14/ XXVII (8) 06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14/ XXVII (8)06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

जबकि सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड–1 कोटद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्व श्री शिवसिंह गुसाईं सिविल संविदाकार टिन.05002891692 संव्यवहार वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्त भुगतान रु.1,25,06,539.00 में से रु. 1,19,96,539.00 पर कर निर्धारण आदेश के अनुसार दो प्रतिशत की दर से रु.2,39,931.00 समाधान राशि निर्धारित की गयी थी।

आगे व्यौहारी की पत्रावली में भुगतान संविदा वर्ष 2012–13 से संबन्धित पाये गये जिस पर उपरोक्त प्रावधान के अनुसार चार प्रतिशत की दर से कर निर्धारण अपेक्षित था इस प्रकार इन भुगतानों पर चार प्रतिशत की दर से समाधान निम्नानुसार अनारोपित रह गया :–

संविदा सं0 तथा संविदा वर्ष	प्रारुप 8 की संख्या	भुगतान की धनराशि रु0 में	निर्धारित समाधान की राशि चार प्रतिशत की दर से रु. में	ली गयी समा धान की धनराशि रु0 में	कम ली गयी समाधान की धनराशि रु0में
21/AE/2012-13Dt22-03-13	UK/VAT 2007 087718	2,28,675.00	9147.00	4573.00	4574.00
21/AE/2012-	DO	**1,64,224.00**	**6569.00**	**3285.00**	**3284.00**

13Dt22-03-13					
संविदा की तिथी का उल्लेख नही	UK/VAT 2007 028451				
		3,92,899.00	15716.00	7858.00	7858.00

इसी प्रकार सर्वश्री राजेश गोयल संविदाकार टिन.05002868218 कर निर्धारण वर्ष 2012–13 की पत्रावली में भी प्राप्त रु.72,23,154.00 भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से रु.72,232.00 समाधान राशि निर्धारित की गयी थी। जबकि वर्ष 2012–13 की संविदा पर चार प्रतिशत की दर से निम्नानुसार समाधान राशि का कम निर्धारण किया गयाः–

संविदा सं0 तथा संविदा वर्ष	प्रारुप 8 की संख्या	भुगतान की धनराशि रु0 में	निर्धारित समाधान की राशि चार प्रतिशत की दर से रु. में	ली गयी समाधान की धनराशि रु0 में	कम ली गयी समाधान की धनराशि रु0में
17/स0अ0/12–13	UK/VAT 2007 145106	7,29,819.00	29,193.00	14,596.00	15596.00
13/एइ/12–13	UK/VAT 2007 114178	82,252.00	3290.00	1645.0	1645.00
02/एस ई/12–13	UK/VAT 2007 145933	12,22,650.00	48950.00	24453.00	24453.00
तदैव	DO	2109220.00	84,369.00	42184.00	42185.00
01/एस ई/12–13	DO	13,24,040.00	52,962.00	26,481.00	26,481.00
		54,67,981.00.00	2,18,764.00	1,09,360.00	1,09,360.00

इस प्रकार रु.1,17,218.00(7858+109360) **निर्धारित** समाधान राशि का **कम** निर्धारण किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि इन प्रकरणों में रिफण्ड भी किया जा चुका है। इस संबन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी। अतः कम निर्धारित समाधान शुल्क रु.117218.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-42/2009-10	-	STAN-01
CT-37/2015-16	-	1,4
CT-165/2017-18	-	1

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) प्रथम, राज्य कर, कोट्द्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   डी
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती मिनाक्षी त्यागी	सहायक आयुक्त (04/17 से 03/2018)
(ii)	श्री संजीव कुमार त्रिपाठी	सहायक आयुक्त (वर्तमान में)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त, (क.नि.) प्रथम, राज्य कर, कोट्द्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखा परीक्षा)-उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

व0लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र